न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु...

राजेन्द्र सिंह बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म मुकद्मा प्रा.नाम त्रुटि मु. नं. 28 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा-पत्र	
28/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः एल.आर./25/1862 दिनांक 10.06.2055 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन वकील प्रार्थी ने कर मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थीया का हस्तगत आवेदन स्वीकार कर दुरूस्ती करने का निवेदन किया। हस्तगत आवेदन का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वकील प्रार्थी ने संक्षिप्ततः निवेदन किया है कि "ग्राम परडोली छोटी पटवार हल्का सांवलोदा पुरोहितान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के (नये) खाता सं. 244, 205 व 71 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि राजूसिंह पुत्र सियाणसिंह दर्ज है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र सियाण सिंह है। प्रार्थी के नाम से बने पहचान के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई–श्रम कार्ड, परिवार राशन कार्ड व मतदाता पहचान–पत्र आदि की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र सियाण सिंह अंकित है, जो कि सही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि राजूसिंह पुत्र सियाणसिंह के स्थान पर राजेन्द्र सिंह पुत्र सियाण सिंह दुरुस्त किया जावें।" प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार से प्राप्त उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। अतः वकील प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः एल.आर./25/1862 दिनांक 10.06.2055 के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम परडोली छोटी पटवार हल्का सांवलोदा पुरोहितान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के (नये) खाता सं. 244, 205 व 71 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि राजूसिंह पुत्र सियाणसिंह के स्थान पर राजेन्द्र सिंह पुत्र सियाण सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी धोद, सीकर	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, धोद सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.29 15:55:57 IST
Reason: SelfAttested